



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072022-237622
CG-DL-E-28072022-237622

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3254]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2022/श्रावण 5, 1944

No. 3254]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2022/SHRAVANA 5, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

का.आ. 3416(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.702 (अ) दिनांक 15.फरवरी.2022, जो भारत के राजपत्र संख्या 683 दिनांक 15 फरवरी, 2022, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के कृष्णागिरी जिले में शारजापुर-बगलूर-होसुर रोड एनएच 207 (नया एनएच 648) के कि.मी. 0/0-6/0 एवं 14/0-16/0 का 10 मीटर से 12 मीटर तक चौड़ीकरण एवं सुद्रीकरण के साथ ज्यामितीय सुधार, नाली का निर्माण, सीडी कार्यों का पुनर्निर्माण, जंक्शन सुधार और बस बे और रिटेनिंग वॉल और किमी 9/4-9/8 पर ब्लैक स्पॉट का सुधार तक के भूखण्ड पर निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "23 मार्च, 2022" को "द हिन्दू १" और "दिनाकरन २" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के कृष्णागिरी जिले में शारजापुर-बगलूर-होसुर रोड एनएच 207 (नया एनएच 648) के किमी 0/0-6/0 एवं 14/0-16/0 का 10 मीटर से 12 मीटर तक चौड़ीकरण एवं सुद्रीकरण के साथ ज्यामितीय सुधार, नाली का निर्माण, सीडी कार्यों का पुनर्निर्माण, जंक्शन सुधार और बस बे और रिटेनिंग वॉल और किमी 9/4-9/8 पर ब्लैक स्पॉट का सुधार के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तमिलनाडु		जिले का नाम: कृष्णागिरी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: होसुर					
गांव का नाम: कोडीयालम					
1	193/5	निजी	ड्राई	0.0234	वेंकटलचुमैया पुत्र चिन्ना अप्पैया (193/5बी)
2	193/6	सरकारी	पोरंबोके	0.006	तमिलनाडु सरकार (193/6बी)
गांव का नाम: नल्लूर					
3	885/1B1A	निजी	ड्राई	0.0248	पी.कृष्णप्पा पुत्र बेथा पिल्लैया (885/1बी1ए1)
4	885/1B1B	निजी	ड्राई	0.0206	पी.रामप्पा पुत्र बेथा पिल्लैया (885/1बी1बी1)
5	885/2	सरकारी	पोरंबोके	0.07	तमिलनाडु सरकार (885/2)
6	887/6	सरकारी	पोरंबोके	0.0993	तमिलनाडु सरकार (887/7)
			कुल	0.2441	

[फा. सं. CE-RO/Chennai/MoRTH/12014/66/2019-2020/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2022

S.O. 3416(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.702(E) dated 15th February 2022, published in the Gazette of India, No.683 dated 15th February 2022 Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for Widening from 10m to 12m and strengthening the existing carriageway from Km. 0/0-6/0 & 14/0-16/0 including geometrical improvements, Construction of drain, Reconstruction of CD works, Junction improvements & Bus bays and retaining walls and rectification to Black spot at Km. 9/4-9/8 in Sharjapur-Bagalur-Hosur road NH 207 (New NH 648) in the district of KRISHNAGIRI in the state of TAMIL NADU;

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Hindu¹” and “Dinakaran²” both dated 23rd March 2022 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling on Widening from 10m to 12m and strengthening the existing carriageway from Km. 0/0-6/0 & 14/0-16/0 including geometrical improvements, Construction of drain, Reconstruction of CD works, Junction improvements & Bus bays and retaining walls and rectification to Black spot at Km. 9/4-9/8 in Sharjapur-Bagalur-Hosur road NH 207 (New NH 648) in the district of KRISHNAGIRI in the state of TAMIL NADU.

State: TAMIL NADU			District: KRISHNAGIRI		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Hosur				
	Village: Kodiyaalam				
1	193/5	Private	Dry	0.0234	Venkatlatchumaiya S/o ChinnaAppaiya 193/5B
2	193/6	Government	Poramboke	0.006	Government of Tamil Nadu 193/6B

	Village: Nallur				
3	885/1B1A	Private	Dry	0.0248	P.Krishnappa S/O Betha Pillaiya 885/1B1A1
4	885/1B1B	Private	Dry	0.0206	P.Raamappa S/o Betha Pillaiya 885/1B1B1
5	885/2	Government	Poramboke	0.07	Government of Tamil Nadu 885/2
6	887/6	Government	Poramboke	0.0993	Government of Tamil Nadu 887/7
			TOTAL	0.2441	

[F. No. CE-RO/Chennai/MoRTH/12014/66/2019-2020/3D]

RAJESH GUPTA, Director